



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 4, 2010/माघ 15, 1931

No. 51]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 4, 2010/MAGHA 15, 1931

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2010

सा.का.नि. 59(अ).—भारतीय आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 27) के खंड 17 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार भारतीय आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपीलीय ट्राइब्यूनल का गठन करता है जो अपने अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभाव में होगा।

[फा. सं. ए. 12023/001/2009-एडी]

रोहित नन्दन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2010

G.S.R. 59(E).—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 (27 of 2008), the Central Government hereby establishes the Airports Economic Regulatory Authority Appellate Tribunal with effect from the date of publication of this notification on the Official Gazette.

[F. No. A. 12023/001/2009-AD]

ROHIT NANDAN, Jt. Secy.